कार्यालय नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छ0ग0)

Phone No. :- 07762-222911,Fax No. :- 07762-222923
Email :- nraigarh@ymail.com, Website - WWW.nagarnigamraigarh.com

क्रमांक 2510/स्वा.वि./न.पा.नि./2024 रायगढ़ दिनांक 01.3.24

।। रूचि की अभिव्यक्ति ।।

नगर पालिक निगम, रायगढ़ सीमा क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन, ''सुविधा – 24'' के तहत् सामुदायिक सह सार्वजनिक शौचालय का संचालन एवं संधारण किया जाना है। प्रत्येक कार्य हेतु पृथक–पृथक आवेदन अशासकीय संस्थानो से रूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) दिनांक 18.03.2024 संध्या 4:30 बजे तक मुहरबंद लिफाफे में पंजीकृत डॉक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित किया जाता है।

सार्वजनिक शौचालयो की सूची :– 1. लेवर कॉलोनी, 2. प्राची विहार, 3. चमड़ा गोदाम, 4. शिवा नगर, 5. जवाहर नगर, 6. राजीव गांधी नगर, 7. राजीव नगर, 8. पतरापाली, 9. पुछापारा।

नोट :– अन्य नियम एवं शर्ते कार्यालयीन अवधी में कार्यालय में देखे जा सकते है।

''स्वच्छ पर्यावरण के लिए वृक्षरोपण करें एवं पालिथीन का प्रयोग न करें''

आयुक्त,
नगर पालिक निगम,
रायगढ़ (छ.ग.)

पृ. 2510/स्वा.वि./न.पा.नि./2023 रायगढ़ दिनांक 01.03.24

प्रतिलिपिः–

1. कार्यालय अधीक्षक/लेखापाल, नगर पालिक निगम रायगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ।
2. कार्यपालन अभियंता, नगर पालिक निगम रायगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ।
3. प्रोग्रामर डाटा सेन्टर, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, अटल नगर, नवा रायपुर को विभागीय वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ।
4. संपादक ....को.................................से.मी. में प्रकाशित कर देयक समाचार पत्र की दो प्रतियों के साथ प्रस्तुत करें।
5. प्रभारी जनसंपर्क, न.पा.नि., रायगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि बहूप्रसारित हिन्दी समाचार पत्र में शासन के प्रावधान अनुसार विज्ञापन देने की कार्यवाही किया जावे।
6. कार्यालय, न.पा.नि., रायगढ़ के सूचना पटल में चस्पा हेतु।

आयुक्त,
नगर पालिक निगम,
रायगढ़ (छ.ग.)

नियम एवं शर्ते

1. मुख्य लिफाफा के अन्दर दो लिफाफा **A** और **B** निम्नानुसार दस्तावेज रखा जाना है। उक्त लिफाफा को पंजीकृत डॉक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से स्वीकार किया जावेगा :–
   (**A**) आवश्यक दस्तावेज :– 1. संस्था का वैध पंजीयन प्रमाण पत्र, 2. अनुभव प्रमाण पत्र अथवा समान कार्य का किसी संस्था से पूर्व में किये गये कार्य का कार्यादेश, 3. 1000/– रूपये का डिमांड ड्राफ्ट, 4. 10,000/– रूपये का टी0डी0आर0 अथवा छूट का वैध प्रमाण पत्र। उपरोक्त में से किसी दस्तावेज की कमी होने पर वित्तीय ऑफर लिफाफा (**B**) नहीं खोला जावेगा।
   (**B**) वित्तीय ऑफर :– वह दर जो संस्था द्वारा नगर पालिक निगम रायगढ़ को प्रतिमाह शौचालय संचालन के एवज में दी जाएगी।
2. संचाल हेतु निकाय से कोई राशि देय नहीं होगी। संचालन पूर्णतः पे एण्ड यूज के आधार पर किया जावेगा।
3. सामुदायिक शौचालय के रूचि की अभिव्यक्ति का आवेदन खोलने के उपरान्त प्रथम प्राथमिकता स्व सहायता समूह द्वितीय प्राथमिकता एन0जी0ओ0 तृतीय प्राथमिकता अन्य आवेदकों को दिया जावेगा तथा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी में एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर ड्रा के माध्यम से चयन किया जावेगा।
4. प्रत्येक शौचालय में केयर टेकर कक्ष है उन शौचालयों में केयर टेकर रखना अनिवार्य है एवं जिन शौचालयों में केयर टेकर कक्ष नहीं है उन शौचालयों में प्रतिदिन 02 बार या आवश्यकता पड़ने पर 02 से अधीक बार शौचालय की सफाई करना तथा 02 शौचालय के लिए 01 सफाई कर्मी की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
5. शौचालय में उपयोग होने वाली साबून, साबून दानी, ऐयर फ्रेशनर, वाईपर, आईना, नीला एवं हरे रंग का डस्टबीन, नेपकीन पेपर, फिलाईल, झाडू, ब्रश, प्रकाश हेतु एल.ई.डी. लाईट, सभी दरवाजे एवं दरवाजे में कुंडी की व्यवस्था करना अनिवार्य है। इसके लिए पृथक से कोई राशि प्रदान नहीं की जावेगी।
6. महिलाओं के स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सेनेटरी पेड़, वेन्डींग मशीन शौचालयों में अनिवार्य रूप से स्थापित करना होगा एवं इसका उपयोग पे एण्ड यूज के आधार पर किया जावेगा।
7. सफाई एवं भंण्डार पंजी का ऐजेंसी नियमित संधारण किया जाना अनिवार्य है एवं 07 दिनों की अग्रिम सामग्री रखना होगा।
8. नोटिस बोर्ड पर निकाय का नाम शौचालय का पता, शीट की जानकारी एवं स्वच्छता निरीक्षक तथा केयर टेकर का नाम एवं मोबाईल नंबर अंकित करना अनिवार्य होगा।
9. शौचालयों को 24 घंटे उपयोग स्थिति में लाने हेतु हमेशा खुला रखना अनिवार्य होगा।
10. शौचालय पर विज्ञापन प्रदर्शन हेतु स्थान आबंटित करने तथा उससे होने वाले आय पर पूर्ण अधिकार निकाय का होगा।
11. शौचालय भवन में स्थापित फिडबैक सिस्टम की सुरक्षा की जानकारी ऐजेंसी की होगी।
12. डब्ल्यूसी एवं मूत्रालय क्षेत्र में ऐयर फ्रेशनर का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा।
13. शौचालय की देख–भाल करने वाले केयर टेकर को सफेद एपरॉन तथा नेमप्लेट लगाना अनिवार्य होगा। सफाई कर्मी को वर्दी के लिए शर्ट/ब्लाउज का कलर हल्का नीला, पतलुन/साड़ी का कलर नेवी ब्लू होगा तथा हाथों के लिए ब्लू कलर के दस्ताने एव गमबुट पहनना अनिवार्य है। इस हेतु निकाय द्वारा ऐजेंसी को कोई भुगतान देय नहीं होगा।
14. सामुदायिक शौचालय में शौचालय/स्नानगार हेतु प्रति व्यक्ति 5 रूपये शुल्क एवं मुत्रालय सुविधा निःशुल्क रहेगा।
15. अनुबंधित ऐजेंसी द्वारा शर्तो का पालन नहीं किया जाने पर प्रति गलती पर प्रतिबार अधिकतम 1000/– रूपये का आर्थिक दण्ड अनुबंधित ऐजेंसी पर किया जावेगा।
16. अनुबंधित ऐजेंसी द्वारा शर्त का पालन नहीं करने पर आयुक्त नगर पालिका निगम रायगढ़ द्वारा 30 दिवस के नोटिस दिया जाकर अनुबंध का निरस्त करने का पूण अधिकार होगा।
17. नगर निगम द्वारा शौचालय संचालन हेतु पेय जल तथा विद्युत की सूविधा उपलब्ध करायी जावेगी।
18. प्रथम चरण में 01 वर्ष के लिए संचालन का दायित्व सौंपा जावेगा, संतोषप्रद कार्य संपादित किये जाने की स्थिति मे आगामी 01 वर्ष के लिए एवं आगे भी इसी क्रम में संचालन अवधि को बढ़या जा सकेगा। परन्तु अधिकतम सीमा 05 वर्ष की होगी।

स्वास्थ्य अधिकारी
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)